न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, (द.प्र.क्षेत्र), कक्ष संख्या–1, जनपद कन्नौज।

CNR No. UPKJ01–003867–2023

परिवाद संख्या–417/2023

प्रवीन बनाम मनोज आदि।

दिनांकः–10.03.2026

वाद पुकारा गया। पुकार पर कोई उपस्थित नहीं।

परिवादी की ओर से कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।

न्यायालय में उपस्थित रीडर द्वारा आदेश पत्र पर यह कथन किया कि आज परिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है और न ही उसकी ओर से कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि परिवादी निरन्तर अनुपस्थित चल रहा है। पत्रावली तलबी बहस हेतु नियत चल रही है। आज लगभग 2:50 बजे तक परिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया है। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य के परिशीलन से विदित होता है कि परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को तलब किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है। ऐसा परिलक्षित होता है कि परिवादी अपने परिवादपत्र पर बल नही देना चाहता है। परिवाद पत्र में किये गये कथनों के समर्थन में परिवादी द्वारा कोई भी ऐसा साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है जिसके आधार पर विपक्षीगण को तलब किया जा सके। अतः ऐसी स्थिति में परिवाद साक्ष्य के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अन्तर्गत धारा–203 द0प्र0सं0 के प्रावधानों के तहत **खारिज** किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(द.प्र.क्षे), कक्ष संख्या–1, कन्नौज।

Digitally signed by HARI PRASAD
Date: 2026.03.10 17:06:50 IST
Reason: COMPLAINT DISMISSED
Location: ADJ COURT NO 1 KANNAUJ